सुशासन तिहार-2025

जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के समाधान पेटी में प्राप्त हुए 42 हजार से अधिक आवेदन

❐ खरसिया ग्रामीण क्षेत्र में सबसे अधिक 9827 आवेदन मिले

❐ सुशासन तिहार-2025, पारदर्शिता, संवाद और समाधान की नई पहल

रायगढ़

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल पर जनसामान्य की समस्याओं के निदान और उनसे रूबरू मुलाकात के लिए सुशासन तिहार के तहत प्रथम चरण में गांव से लेकर शहर में समाधान पेटी के माध्यम से 11 अप्रैल तक आवेदन लिए गए। आवेदन प्राप्त करने के प्रथम चरण में 11 अप्रैल को दोपहर 12 बजे तक की स्थिति में रायगढ़ जिले के 7 जनपद पंचायतों के ग्रामों से समाधान पेटी में कुल 42 हजार 903 आवेदन प्राप्त हुए। जिसमें मांग के 42 हजार 627, शिकायत के 276 आवेदन मिले।

उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा सुशासन एवं पारदर्शिता के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में सुशासन तिहार-2025 का आयोजन एक महत्वपूर्ण पहल है। सुशासन तिहार-2025 के तहत सभी प्राप्त आवेदनों की सॉफ्टवेयर में प्रविष्टि कर संबंधित विभागों को सौंपा जाएगा और एक माह के भीतर उनका निराकरण सुनिश्चित किया जाएगा। सुशासन तिहार 2025 का उद्देश्य जनसामान्य की समस्याओं का प्रभावी एवं त्वरित समाधान, शासकीय कार्यों में पारदर्शिता और जनता से सीधा संवाद स्थापित करना है। सुशासन तिहार के तीसरे चरण में जिले की 8 से 15 ग्राम पंचायतों के मध्य समाधान शिविर आयोजित होंगे। नगरीय निकायों में भी आवश्यकतानुसार शिविरों का आयोजन किया जाएगा। शिविरों में आमजन को उनके आवेदन की स्थिति से अवगत कराया जाएगा तथा यथासंभव आवेदन का त्वरित निराकरण भी वहीं किया जाएगा। शेष समस्याओं का निराकरण एक माह के भीतर कर सूचना दी जाएगी।

समाधान शिविरों में जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी और हितग्राहीमूलक योजनाओं के आवेदन प्रपत्र भी उपलब्ध कराए जाएंगे। इस अभियान में सांसदों, विधायकों और अन्य जनप्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। मुख्यमंत्री, मंत्रीगण, मुख्य सचिव, प्रभारी सचिव एवं वरिष्ठ अधिकारी स्वयं शिविरों में उपस्थित रहकर आमजन से संवाद करेंगे और विकास कार्यों व योजनाओं से मिल रहे लाभ का फीडबैक लेंगे। साथ ही औचक निरीक्षण के माध्यम से चल रहे निर्माण कार्यों की वास्तविक स्थिति और गुणवत्ता का भी मूल्यांकन किया जाएगा।

खरसिया में प्राप्त हुए सबसे अधिक आवेदन

सुशासन तिहार-2025 के पहले चरण में 11 अप्रैल को दोपहर 12 बजे तक की स्थिति में रायगढ़ ग्रामीण के 7 जनपद पंचायतों में कुल 42 हजार 903 आवेदन प्राप्त हुए। जिसमें मांग के 42 हजार 627, शिकायत के 276 आवेदन मिले। जिसमें जनपद पंचायत धरमजयगढ़ में 7854 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें 7823 मांग एवं 31 शिकायत के आवेदन शामिल है। इसी तरह जनपद पंचायत घरघोड़ा में 3053 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें 3026 मांग एवं 27 शिकायत के आवेदन शामिल है। जनपद पंचायत खरसिया में 9827 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें 9786 मांग एवं 41 शिकायत के आवेदन शामिल है। जनपद पंचायत लैलूंगा में 3094 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें 3051 मांग एवं 43 शिकायत के आवेदन शामिल है। जनपद पंचायत पुसौर में 6615 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें 6571 मांग एवं 44 शिकायत के आवेदन शामिल है। जनपद पंचायत रायगढ़ में 5993 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें 5987 मांग एवं 6 शिकायत के आवेदन शामिल है। जनपद पंचायत तमनार में 6467 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें 6383 मांग एवं 84 शिकायत के आवेदन शामिल है।

द्वितीय चरण में होगा आवेदनों का निराकरण

द्वितीय चरण में 09 अप्रैल से 04 मई तक आवेदनों को निराकृत किया जाएगा। सभी प्राप्त आवेदनों को स्कैन कर सॉफ्टवेयर में अपलोड किया जाएगा और संबंधित जिला/जनपद/नगरीय निकाय के अधिकारियों को ऑनलाइन व भौतिक रूप से भेजा जाएगा। संबंधित विभाग/अधिकारी लगभग एक माह में इन आवेदनों का निराकरण सुनिश्चित करेंगे। मांग से संबंधित आवेदनों को बजट की उपलब्धता के आधार पर निराकृत किया जाएगा। इन आवेदनों के निराकरण की गुणवत्ता का विश्लेषण जिला और राज्य स्तर पर किया जाएगा।

05 से 31 मई तक होगा समाधान शिविरों का आयोजन

05 मई से 31 मई 2025 के दौरान प्रत्येक 08 से 15 पंचायतों के मध्य समाधान शिविर आयोजित किए जाएंगे, जिनमें आवेदकों को उनके आवेदनों की स्थिति की जानकारी दी जाएगी। नगरीय निकायों में भी आवश्यकतानुसार समाधान शिविर आयोजित होंगे। शिविरों में विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी और हितग्राहीमूलक योजनाओं के आवेदन पत्र/प्रपत्र उपलब्ध कराए जाएंगे। समाधान शिविरों में विकासखंड एवं अनुभाग स्तर के सभी अधिकारी उपस्थित रहेंगे, जिला स्तर से भी अधिकारी उपस्थित रहेंगे। इसी तरह की व्यवस्था नगरीय निकायों के शिविरों में भी की जाएगी।

महत्वपूर्ण एवं खास

छत्तीसगढ़ फिर हुआ शर्मसार, न्यायधानी में नाबालिग से फिर अनाचार

बिलासपुर-रायपुर (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में अभी हाल ही में एक 6 साल की बच्ची से रेप और हत्या की घटना सामने आई थी। जिसके बाद अब बिलासपुर में 14 साल की बालिका को धमकी देकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। दरअसल ये 14 साल की बच्ची नानी के घर में रहकर ही अपनी पढ़ाई करती है। जिसे घर में अकेले पाकर ड्राइवर जान से मारने की धमकी देकर तीन दिन तक अनाचार करता रहा। इस घटना की सुचना मिलते ही मां की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। सिरगिट्टी पुलिस के मुताबिक 14 साल की बालिका बचपन से अपनी नानी के घर में पढ़ाई कर रही है। तोरवा बूटापारा निवासी हार्दिक खान रेलवे के एक अधिकारी की गाड़ी चलाता है, जिसके कारण उसकी बालिका की नानी से जान पहचान हो गई और उसका घर आना जाना था। परीक्षा समाप्त होने के बाद बालिका अपने घर चली गई थी। जिसके बाद वह वापस 4 अप्रैल को नानी के घर लौटी। और 7 अप्रैल को हार्दिक खान उनके घर गया और बालिका के अकेले रहने का फायदा उठाते हुए उसके साथ अनाचार किया। उसने घटना के संबंध में किसी को बताने पर उसे जान से मारने की धमकी देकर लगातार 8 व 9 अप्रैल को शारीरिक संबंध बनाया। बच्ची ने डर से घटना की जानकारी अपनी नानी को नहीं दी। बालिका की मां 10 अप्रैल को आई तो पीड़िता ने घटना की जानकारी दी। उसके बाद मां अपनी बेटी को लेकर सिरगिट्टी थाना गई और घटना की रिपोर्ट लिखाई। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल उनकी रिपोर्ट पर तोरवा बूटापारा में दबिश देकर ड्रावइर हार्दिक खान को पकडक़र थाने ले आए। पुलिस ने बीएनएस की धारा 64, 2, 351, 4, 6 पाक्सो एक्ट के तहत ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है।

महुआ बीन रही महिलाओं पर भालू ने किया हमला, दो गंभीर

मरवाही-रायपुर (आरएनएस)। मरवाही वन क्षेत्र में 2 महिलाओं पर भालू ने हमला कर दिया। गुल्लीडांड गांव की दो महिलाएं परमिला यादव और सुमित्रा रैदास सुबह महुआ बीनने जंगल गई थीं। इसी दौरान भालू ने उन पर हमला कर दिया। महिलाओं की चीख-पुकार सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और उन्हें बचाया। सूचना मिलते ही आपातकालीन सेवा डायल 108 और 112 की टीम घटनास्थल पर पहुंची। दोनों घायल महिलाओं को मरवाही अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक महिला की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। इससे पहले दानीकुंडी और खंता गांव में भी भालू घुस आए थे। हालांकि, तब कोई हादसा नहीं हुआ।

रायगढ़ के सभी थानों में मालवाहक वाहन के मालिक-चालकों की बैठक, मालवाहक में सवारी ढोने पर जताई कड़ी आपत्ति

❐ बैठक में समझाइश के साथ मालवाहक से सवारी ले जाते पाये जाने पर दी गई कड़ी कार्यवाही की चेतावनी

रायगढ़

सड़क हादसों में अंकुश लगाने की दिशा में रायगढ़ पुलिस लगातार मोटर व्हीकल एक्ट की कार्रवाई, जागरूकता कार्यक्रम तथा परिवहन विभाग, एनएच, पीडब्लुडी के साथ मिलकर सड़क सुरक्षा को लेकर सुधारात्मक कार्य किए जा रहे है। पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल के निर्देश पर मालवाहक वाहनों में सवारी ढोने की घटनाओं पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने जिले के सभी थाना क्षेत्रों में एकसाथ व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में शुक्रवार सुबह थाना कोतरारोड़ में डीएसपी सुशांतो बनर्जी एवं थाना प्रभारी त्रिनाथ त्रिपाठी द्वारा पिकअप वाहन मालिकों और चालकों की बैठक लेकर उन्हें स्पष्ट निर्देश दिए गए कि यदि अब उनके वाहनों में यात्री बैठे मिले या हादसे में किसी की जान गई, तो कठोर कार्रवाई की जाएगी।

बैठक के दौरान डीएसपी बनर्जी ने कहा कि देश में सड़क दुर्घटनाएं मृत्यु के बड़े कारणों में शामिल हैं, और इनमें भी मालवाहक वाहनों में सवारी बैठाकर की गई लापरवाही से कई मासूम जानें जा चुकी हैं। उन्होंने बताया कि मालवाहक का इस्तेमाल सिर्फ माल ढोने के लिए ही किया जाना चाहिए, इसे यात्री वाहन बनाना न केवल खतरनाक है, बल्कि कानून का गंभीर उल्लंघन भी है। नए मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार, यदि जानबूझकर ऐसे वाहन में सवारी बैठाकर दुर्घटना कर दी गई, तो उसे गैर इरादतन हत्या का अपराध माना जाएगा, साथ ही वाहन बीमा कंपनी भी किसी तरह का मुआवजा नहीं देगी।

पुलिस अधिकारियों ने वाहन मालिकों को यह भी निर्देशित किया कि वे समय-समय पर चालकों का स्वास्थ्य परीक्षण अवश्य कराएं, नशे में वाहन चलाने वालों को ड्यूटी से हटाएं, और यह सुनिश्चित करें कि उनके सभी दस्तावेज—आरसी बुक, फिटनेस सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्योरेंस आदि—पूरी तरह अपडेट हों और वाहन में हमेशा उपलब्ध रहें। वाहन स्वामियों से यह भी कहा गया कि वे चालकों को यातायात नियमों के प्रति संवेदनशील बनाएं और खुद भी जागरूक नागरिक की भूमिका निभाएं।

रायगढ़ जिले में यह बैठक सिर्फ कोतरारोड़ थाना क्षेत्र तक सीमित नहीं रही। जिले के सभी थानों में राजपत्रित अधिकारियों, थाना और चौकी प्रभारियों ने वाहन मालिकों और चालकों के साथ इसी तरह की बैठकें कर उन्हें कानून और सुरक्षा के प्रति जागरूक किया। पुलिस ने साफ कर दिया है कि अब लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं बचेगी और भविष्य में ऐसे किसी भी कृत्य पर सख्त कानूनी कार्रवाई तय है।

हमर स्वस्थ लईका थीम पर 12 अप्रैल को होगा पोषण पखवाड़ा गतिविधियां

सारंगढ़ बिलाईगढ़

भारत सरकार महिला बाल विकास मंत्रालय और संचालनालय महिला एवं बाल विकास छत्तीसगढ़ के द्वारा जारी आदेश पर 8 अप्रैल से 22 अप्रैल तक पोषण पखवाड़ा 2025 का आयोजन किया जा रहा है। 12 अप्रैल को सी-मैम (हमर स्वस्थ लईका) प्रबंधन मॉड्यूल का क्रियान्वयन करते हुए कुपोषण का प्रबंधन थीम पर जिला स्तर पर परियोजना अधिकारी एवं पर्यवेक्षकों का रिफ्रेशर प्रशिक्षण स्वास्थ्य विभाग और यूनिसेफ के माध्यम से किया जाना निर्धारित है। स्वास्थ्य विभाग और यूनिसेफ के द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र स्तर पर प्रशिक्षण दिया जाएगा जिसमें आंगनबाडी कार्यकर्ता द्वारा आगनबाडी केन्द्र पर चिन्हांकित सैम बच्चों का एपेटाईट टेस्ट करना, संदर्भ किये जाने योग्य बच्चों को एनआरसी संदर्भित करना, डाटा एंट्री सुनिश्चित करना, सी-मैम प्रोटोकॉल पर पालकों, समुदाय के सदस्यों हेतु जागरूकता सत्र का आयोजन, गृहभेंट कर आईवायसीएफ संबंधी कॉउंसिलिंग करना, स्थानीय एवं किफायती खाद्य सामग्री का उपयोग करते हुए कुपोषित बच्चों हेतु एनर्जी सघन भोजन बनाने संबंधी विधियों का प्रदर्शन, पीयर सपोर्ट ग्रुप सत्र- माताओं के सपोर्ट ग्रुप हेतु सत्रों का आयोजन जिनमें भावनात्मक सहयोग, सफलता की कहानियों का साझा करना एवं सी-मैम को कुपोषित बच्चों के देखभालकर्ताओं के मध्य प्रचार-प्रसार करना शामिल है।

गुमशुदा जलधर प्रधान की तलाश जारी

रायगढ़

रायगढ़ के जूटमिल थाना क्षेत्र में जलधर नामक व्यक्ति के लापता होने का मामला सामने आया है। जलधर प्रधान, जो 42 वर्षीय हैं और ननसियां जूटमिल रायगढ़ के निवासी हैं, 3 जनवरी 2018 को घर से बिना बताए कहीं चले गए थे। उनकी पत्नी बोट कुमारी ने 6 जनवरी 2018 को जूटमिल थाने में गुम इंसान की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस थाना प्रभारी जूटमिल, रायगढ़ से प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना जूटमिल रायगढ़ प्रार्थिया बोट कुमारी पति जलंधर प्रधान उम्र 35 वर्ष साकिन ननसियां जूटमिल रायगढ़ द्वारा 6 जनवरी 2018 को थाना उपस्थित आकर गुम इंसान की जुबानी रिपोर्ट दर्ज कराई कि इसका पति जलधर प्रधान पिता जोतराम प्रधान उम्र 42 वर्ष साकिन ननसियां जूटमिल रायगढ़ से 3 जनवरी 2018 के दिन 100 बजे घर से बिना बताये कही चला गया है। आसपास व रिश्तेदारो में पता साजी किया गया कही पता नही चलने पर गुम इंसान क्र. 03/2018 दिनांक 6.01.2018 को प्रार्थिया के सूचना पर गुम इंसान कायम कर पतासाजी किया जा रहा हैं। गुम इंसान की मानसिक स्थिति ठीक नही है। 12 वीं पढ़ा है, शराब पीता है। पैर में माशा जैसे निशान उडिय़ा/छत्तीसगढ़ी बोलता है। की पतासाजी हेतु जिले के सर्व थाना/चौकी प्रभारी को वितंतु संदेश के माध्यम से पतासाजी हेतु प्रतिवेदन वायर लेस आफिस रायगढ़ के माध्यम से भेजी गई है। अभी तक गुम इंसान का कोई पता नही चल रहा है। गुम इंसान का हुलिया- रंग सांवला, ऊंचाई करीबन 5 फीट, चेहरा गोल, बाल काला दुबला पतला, नीला रंग का लोअर पेंट कत्था रंग का टी शर्ट पहना है। 12 वीं पड़ा है। मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। शराब पीता है। पैर में माशा जैसे निशान उडिय़ा/छत्तीसगढ़ी बोलता है।

पोषण ट्रैकर एप एवं पोषण पखवाड़ा के एण्ट्री कार्य में लापरवाही पर 02 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का कटा एक दिन का मानदेय

रायगढ़

कलेक्टर कार्तिकेया गोयल के निर्देशन में जिले में आंगनबाड़ी केन्द्रों के संचालन की नियमित मॉनिटरिंग पोषण ट्रैकर ऐप के माध्यम से की जा रही है। जिससे बच्चों की उपस्थिति, नाश्ता व भोजन वितरण की पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके। इस प्रणाली की नियमित समीक्षा विभाग द्वारा की जा रही है।

इसी क्रम में 2 अप्रैल 2025 को जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्र रेगडा-1, रेगडा-3 की कार्यकर्ता वृन्दावती पोबिया, सुरूचि भगत को कार्य में लापरवाही के कारण नोटिस जारी किया जाकर जवाब मांगा गया था। इस हेतु वृन्दावती पोबिया, सुरूचि भगत जवाब देने के लिए जिला कार्यालय में उपस्थित हुई, जिस पर जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा पूछा गया कि पोषण ट्रैकर एप में आज की उपस्थिति कहां है तथा पोषण पखवाड़ा के दौरान आज की गतिविधियों की एण्ट्री की क्या स्थिति है, जिस पर कार्यकर्ताओं द्वारा असंतुष्टी पूर्ण जवाब दिया गया। मोबाईल चेक करने पर झूठ साबित हुआ। जिस पर जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा इसे गंभीरता से लेते हुए वृन्दावती पोबिया, सुरूचि भगत, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का आज एक दिन का मानदेय काटने का आदेश जारी किया गया। जिला प्रशासन ने यह स्पष्ट किया है कि पोषण ट्रैकर ऐप के माध्यम से निगरानी में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नही की जाएगी और आगे भी आवश्यकता सख्त कार्रवाई की जाएगी।

फरार वारंटियों पर शिकंजा : कोतरारोड़ पुलिस की कार्यवाई में पांच फरार वारंटी गिरफ्तार

रायगढ़

जिले में पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल के दिशा निर्देशन में अवैध शराब, जुआ-सट्टा और फरार अपराधियों के विरुद्ध लगातार अभियान जारी है। इसी क्रम में कोतरारोड़ पुलिस ने विशेष अभियान चलाते हुए लंबे समय से फरार चल रहे तीन स्थायी वारंटियों और दो गिरफ्तारी वारंटियों को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है। पकड़े गए सभी आरोपी मारपीट के मामलों में वांछित थे और लंबे समय से पुलिस को चकमा देकर फरार थे।

डीएसपी सुशांतो बनर्जी के मार्गदर्शन में चली इस कार्रवाई में कोतरारोड़ थाना प्रभारी निरीक्षक त्रिनाथ त्रिपाठी के नेतृत्व में टीम ने ताबड़तोड़ दबिश देकर वारंटियों को पकड़ा। गिरफ्तार वारंटियों में मिलन बाई चौहान (52 वर्ष) और कलाराम चौहान (55 वर्ष), दोनों निवासी धनागार कोड़ातराई, गिरफ्तारी वारंट के तहत गिरफ्तार किए गए। वहीं तीन स्थायी वारंटियों में सुशील कुमार उरांव (19 वर्ष, निवासी पतरापाली), राहुल भारती (21 वर्ष, निवासी बलिया, उत्तर प्रदेश), और तनुजा नायक (20 वर्ष, निवासी ट्रांसपोर्ट नगर कोड़ातराई) शामिल हैं।

सभी वारंटी लंबे समय से न्यायालय में पेश नहीं हो रहे थे और लगातार वारंट के बावजूद फरार चल रहे थे। थाना कोतरारोड़ की टीम ने मुखबिर तंत्र और लगातार निगरानी के बाद इन्हें पकड़ने में सफलता पाई।

इस अभियान में उपनिरीक्षक कुसुम कैवर्त, प्रधान आरक्षक प्रेम सिदार, आरक्षक अखिलेश कुशवाहा, संजय एक्का, शंभू चौहान और राजेश खांडे की विशेष भूमिका रही। रायगढ़ पुलिस का यह अभियान आगे भी जिलेभर में जारी रहेगा, जिससे फरार और शातिर अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सके।

फरार वारंटियों की धरपकड़ के साथ-साथ अवैध गतिविधियों पर भी लगातार सख्त निगरानी रखी जा रही है।

ओपी जिंदल स्कूल में साइबर जागरूकता कार्यक्रम, बच्चों को सिखाया डिजिटल खतरे से बचाव

❐ फर्जी कॉल, फ्रेंड रिक्वेस्ट से रहें सतर्क

रायगढ़

पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल के निर्देशन में रायगढ़ पुलिस की साइबर सेल द्वारा आज ओपी जिंदल स्कूल के ऑडिटोरियम में एक विशेष साइबर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अगुवाई साइबर सेल डीएसपी अनिल विश्वकर्मा ने की। इस दौरान हाई स्कूल के छात्र-छात्राओं और शिक्षकों को डिजिटल दुनिया में बढ़ते साइबर अपराधों और उनसे बचाव के उपायों की विस्तृत जानकारी दी गई।

डीएसपी अनिल विश्वकर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि वर्तमान समय में छात्र, अभिभावक और शिक्षक—तीनों ही साइबर ठगी के संभावित शिकार हो सकते हैं। उन्होंने हालिया उदाहरण देते हुए बताया कि परीक्षा में नंबर बढ़ाने या पास कराने के नाम पर कुछ फर्जी लोग कॉल कर छात्रों और उनके परिवारों से ठगी कर रहे हैं। ऐसे कॉल पूरी तरह फर्जी होते हैं और किसी भी स्थिति में उन पर भरोसा न करें। उन्होंने कहा कि कोई भी सरकारी या बोर्ड संस्था छात्रों से नंबर दिलाने के लिए कॉल नहीं करती।

कार्यक्रम में डीएसपी ने बच्चों को सोशल मीडिया पर हो रही नई-नई तकनीकों से होने वाले अपराधों से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि कैसे प्रोफाइल क्लोन कर फर्जी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी जाती हैं, फिर पैसे की मांग या मानसिक उत्पीड़न की घटनाएं सामने आती हैं। इससे बचने के लिए बच्चों को जरूरी सुरक्षा उपाय बताए गए—जैसे प्रोफाइल लॉक रखना, टू-स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करना, अजनबी नंबर से आए किसी लिंक को न छूना, और किसी भी फ्रॉड पर 1930 या 9479281934 नंबर पर तुरंत सूचना देना।

इसके साथ ही उन्होंने UPI फ्रॉड, फाइनेंशियल फ्रॉड, फेक ऐप्स, ऑनलाइन गेमिंग ठगी और अवैध ऑनलाइन लोन के झांसे से भी छात्रों को सावधान किया। उन्होंने कहा कि कई फर्जी लोन ऐप्स मोबाइल में घुसकर डाटा चुराते हैं और फिर ब्लैकमेलिंग शुरू करते हैं। ऐसे मामलों में बिना देरी किए तुरंत साइबर सेल या नजदीकी थाने में रिपोर्ट करें।

कार्यक्रम का विशेष आकर्षण रहा जब बच्चों ने उत्सुकता से डीएसपी विश्वकर्मा से सोशल मीडिया, ऑनलाइन गेम्स और हैकिंग से जुड़े कई रोचक और व्यावहारिक सवाल पूछे। डीएसपी ने बेहद सहजता और सरल भाषा में बच्चों के हर सवाल का उत्तर दिया, जिससे उपस्थित छात्र-छात्राओं में न केवल जागरूकता बढ़ी, बल्कि एक सकारात्मक संवाद का वातावरण भी बना।

साइबर सेफ्टी के लिए कुछ ज़रूरी सुझाव जो छात्रों और पैरेंट्स को ध्यान में रखने चाहिए:

- सोशल मीडिया पर सिर्फ जान-पहचान वालों को फ्रेंड बनाएं।
- टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन जरूर ऑन करें।
- अज्ञात नंबर से आए लिंक या कॉल को नजरअंदाज करें।
- कोई भी एप्लिकेशन प्ले स्टोर/एप स्टोर से ही डाउनलोड करें।
- बैंक, परीक्षा या लोन से जुड़े निजी डिटेल्स किसी से साझा न करें।
- फ्रॉड की शिकायत 1930 या साइबर सेल नंबर 9479281934, www.cybercrime.gov.in पर तुरंत करें।

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID- sjunion29@gmail.com

Social Justice Union

Registered with Govt. No. 5526

Join SJU

अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता

इस संघ का गठनसम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितो को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईज़र श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं गवर्निंग बोर्ड के सदस्यों कु0 सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐकता श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी राकुन्दे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जावेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य हाथ में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यक्ता, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जावेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां

मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जावेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियाँ की जावेंगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तो का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु

प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जावेगी।

पीड़ित संपर्क करें

संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु

- संघ पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश मे महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक तौर्रि के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जावेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जावेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जावेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन् तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जावेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जावेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के भूले बिसरे पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित करायेगा।

पढ़िए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र

:: Address ::
Behind Stadium
Near Career
School, Raigarh,
C.G.
Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।

Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU